राजस्थान सरकार

राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.15(21)2023 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं–03723 / 4769-77 दिनांक : 11 सितम्वर, 2023

निमित्त,

उप वन संरक्षक –
जयपुर / पाली / इ.गा.न.परि.स्टेज–II जैसलमेर / उदयपुर / प्रतापगढ / बांसवाडा / वन्यजीव माउंट आबू / वन्यजीव जू जयपुर / वन्य जीव सरिस्का अलवर / ।

विषय :– वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा–2020 में रिक्त पदों के विरूद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 3335–4000 दिनांक 10.08.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा–2020 में अंतिम रूप से चयनित 121 (79 Non TSP व 42 TSP) अभ्यर्थियों को कार्यालय का आवंटन कर संबंधित कार्यालय स्तर से नियुक्ति आदेश जारी करने एवं दिनांक 31.8.2023 तक आवश्यक रूप से नवनियुक्त वनपालों की उपस्थिति प्राप्त करने के निर्देश दिये गए थे। कार्यालय को प्राप्त सूचना अनुसार अंतिम रूप से चयनित 121 (79 Non TSP व 42 TSP) अभ्यर्थियों के विरूद्ध कुल 107 (74 Non TSP व 33 TSP) अभ्यर्थियों द्वारा ही वनपाल के पद पर उपस्थिति दी गई है। उल्लेखनीय है कि नव चयनित वनपालों द्वारा उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में आरक्षित सूची कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में ही ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हैं। आरक्षित सूची की वैधता अवधि एवं प्रवर्तन किये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जरिये परिपत्र दिनांक 27.12.2021 से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

कार्यालय को प्राप्त सूचना अनुसार कुछ अभ्यर्थी अन्य विभागों में पूर्व से ही नियोजित हैं तथा वनपाल के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु इनके द्वारा कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि चाही गई है। उल्लेखनीय है कि अन्य विभागों में पूर्व से ही नियोजित होने की स्थिति में पूर्व पदस्थापित विभाग द्वारा भारमुक्त करने के कम में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 24.03.2022 से आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं जिसका उल्लेख इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं. 6 में स्पष्ट रूप से किया गया था। अतः यह अपेक्षित था कि संबंधित नियोक्ता प्राधिकारी के स्तर से ही संबंधित विभागों के सक्षम प्राधिकारी को ऐसे नव नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके विभाग से भारमुक्त करने की कार्यवाही बाबत सूचित किया जाता। लेकिन कुछ कार्यालयों द्वारा केवल मात्र औपचारिकतावश इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया जो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.03.2022 की दृष्टि से अपेक्षित नहीं था।

अतः आरक्षित सूची के समुचित समयावधि में प्रवर्तन किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने अभी तक वनपाल के पद पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 18.09.2023 तक आवश्यक रूप से आपके कार्यालय में उपस्थिति

प्रस्तुत करने बाबत तत्काल लिखित में निर्देशित करें। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर उनके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिये जाने बाबत भी स्पष्ट रूप से सूचित करावें। इसके अतिरिक्त पूर्व पदस्थापन कार्यालयों के सक्षम प्राधिकारियों को भी कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.03.2022 अनुरूप कार्यवाही करने बाबत सूचित करावें।

(राजीव चतुर्वेदी)
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.15(21)2023 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं–03723 / दिनांक : सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण तथा निदेशक राज. वा. एवं व.जी. प्रक्षि. संस्थान, जयपुर को नवनियुक्त वनपालों का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोजित कराने हेतु।
2. उप वन संरक्षक आई.टी. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक आई टी. राजस्थान, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने के क्रम में।

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान जयपुर